

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा, जिला - भीलवाड़ा

:: आदेश ::

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी (क)..... व भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम का खेत पटवार हल्का (ख) तहसील करेड़ा व जिला भीलवाड़ा की जमाबंदी संवत् 2073-76 में खाता संख्या में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जा कर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिए जाते हैं :-

क्रम संख्या	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	2	3	4	5
1	करेड़ा	खाता नं. 4024/1750	Online नम्बर में कच्चे अक्षरों व लाल रंग	पत्र संख्या (क) से प्रकाशित नम्बर व कच्चे अक्षरों को मिटाने के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
 करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

दिनांक:- 03/11/2022

क्रमांक:- न्यायालय / 2022 / 271

प्रतिलिपि:-

1. तहसीलदार करेड़ा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री

उपखण्ड अधिकारी पदेन
 करेड़ा, जिला भीलवाड़ा

